

‘लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई केजरीवाल सरकार का दिल्ली प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण है’

सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार के बीच प्रशासन पर नियंत्रण को लेकर लम्बे समय से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप कर दिया

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
 नई दिल्ली, 11 मई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का राजनीतिक कद और बढ़ाते हुए फैसला दिया है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को वास्तविक सत्ता मिलनी चाहिए और देश की राजधानी के प्रशासन पर उसका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए।

इस फैसले ने केन्द्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे इस दीर्घकालीन विवाद पर विराम लगा दिया है कि दिल्ली के शासन में नौकरशाही पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका रहेगा। आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली में वर्ष 2०14 में जब से सरकार आई है, तब से केन्द्र और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता को लेकर निरंतर संघर्ष रहा है और दोनों ही सरकारें इस मामले में अपना-अपना पक्ष प्रभावो ढंग से रखती आयी हैं।

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली एक बेंच ने सर्वसम्मति से एक निर्णय की घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी की निर्वाचित सरकार का अपने विधायी क्षेत्राधिकार का न आने वाले विषयों के

- चीफ जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड़ ने कहा, अगर लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं दिया जाएगा तो सामूहिक उत्तरदायित्व कमजोर पड़ जाएगा।**

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, केन्द्र को सिर्फ तीन मामलों में ही अधिकार हैं, ये हैं- सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस।**

अलावा सभी सेवाओं पर नियंत्रण होना चाहिए।
चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) डी. वाय. चन्द्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में वास्तविक सत्ता राज्य के निर्वाचित अंग के पास होनी चाहिए इस निर्वाचित इकाई का प्रशासन पर नियंत्रण होना जरूरी है। सी.जे.आई. ने कहा कि “यदि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान नहीं की जाती है तो समग्र उत्तरदायित्व की भावना कमजोर पड़ जाएगी। यदि अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देंगे तो समग्र उत्तरदेयता का प्रारूप बेअसर हो जाएगा।”
कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि केन्द्र

सरकार की कार्यावाहरक शक्तियां अनुसूची-2 की केवल तीन प्रविष्टियों पर ही लागू हैं- सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस।
सी.जे.आई. डी. वाय. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक बेंच, जिसमें जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा भी थे, ने केन्द्र सरकार की ओर से सीलीसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट ए.एम. सिंघवी व दिल्ली सरकार के साढ़े चार दिन तक निवेदन सुनने के बाद गत 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शीर्ष अदालत ने जस्टिस अशोक भूषण के इस वृष्टिकोण से सहमत नहीं है कि दिल्ली सरकार का राज्य की कार्यावाहक शक्ति का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं, इमरान खान के पक्ष में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और सूचना मंत्री सुप्रीम कोर्ट के जज पर बुरी तरह भड़के

सूचना मंत्री मरियम औरगज़ेब ने यह तक कहा कि, सुप्रीम कोर्ट जज को न्यायाधीश पद छोड़ देना चाहिये और इमरान खान की पार्टी पी.टी.आई. जाँइन कर लेनी चाहिये

इस्लामाबाद, 11 मई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भड़क गई हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि खजाना लूटने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। एक क्रिमिनल को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। इमरान खान को रिहा करने वाले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कोर्ट छोड़ देना चाहिए और इमरान खान की पार्टी पी.टी.आई. को जाँइन कर लेना चाहिए। इससे पहले मरियम औरगज़ेब जो कि शहबाज सरकार में सूचना मंत्री हैं,

- इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद उस्मान ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं, इमरान खान के पक्ष में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है।**

उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को धमकाया था। मरियम औरगज़ेब ने कहा कि सियासत दानों के घर, राम सनाउल्लाह के घर जला दिया। क्या वे इस मुल्क के नहीं हैं? रेडिया पाकिस्तान, एंजलेंस, सरकारी वाहन जले, क्या वे मुल्क के नहीं हैं? मरियम औरगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इमरान खान को करफ्तान

के केस में जवाब देने हैं। जब पुलिस वारंट लेकर लाहौर गई थी, तब पुलिस वालों के लाहौर में सिर फोड़े गए थे। यदि इमरान को तब सजा दी गई होती तो आज मुल्क जल न रहा होता। इमरान पर निशाना साधते हुए पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ऐसे

इमरान खान को अदालत रिलीफ देगी? वो इमरान जो कि न्याय का मुजरिम है, रिमांड पर है, देश और समाज पर जो हमलावर है, क्या उसे सुप्रीम कोर्ट छूट देगी? अगर सुप्रीम कोर्ट यहत देगी तो देश को कौन बचाएगा?

इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई पर पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद उस्मान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इमरान खान की टांग नहीं टूटी है। दरअसल, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया है।

भाजपा को दो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
डिस्कवालिफिकेशन नोटिस दिए गए थे क्योंकि मॉडिंग में भंग लेने के लिए “ह्रिच” भी जारी किया जा चुका था।
इस बीच, दिल्ली सरकार से संबंधित कोर्ट के निर्णय को आप सरकार के आए वर्ष के संघर्ष की परिणती के रूप में देखा जा रहा है। मई 2०15 में कोर्ट सरकार ने एक एम.एच.ए. अंधविश्चना के जरिए संविधान में संशोधन किया था, जिसके तहत भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के अलावा, सेवाएं (दिल्ली सरकार के भीतर ट्रांसफर-पोस्टिंग) भी लैफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में कर दी गईं।
एक विस्‍तृत एवं दीर्घ विधि‍क के बाद कोर्ट ने आज फैसला दिया कि लैफ्टिनेंट गवर्नर निर्वाचित सरकार की मदद और सलाह से बंधे होंगे।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
में रहकर ही मुद्दे उठाते रहेंगे, क्योंकि इस बार उनकी यात्रा के पोस्टर में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू,इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के फोटो तो हैं, लेकिन, पार्टी अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के फोटो नहीं हैं, और ना ही हाथ का निशान है। ऐसे में भविष्य की योजनाओं को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं।

वैसे अभी तक पायलट की यात्रा को लेकर कांग्रेस की ओर से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन यात्रा शुरू होने के बाद मीडिया द्वारा पूछे जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटोसरा ने कहा कि, यह उनकी निजी यात्रा है, पार्टी से कोई इजाजत नहीं ली है।डोटोसरा बोले कि, पार्टी का वही कार्यक्रम है जिसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी का चुनाव चिन्ह हो।

वहीं, दिल्ली में शुक्रवार को

राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, तीनों सह प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटोसरा के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें निश्चित तौर पर सचिन पायलट की ओर से किए गए अनशन और अब पांच दिन यात्रा को लेकर चर्चा होगी। उसके बाद पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन देखने को मिल सकता है।

अजमेर पहुंचने पररेल्वे स्टेशन पर पायलट बोले, यह जन संघर्ष यात्रा जनता के बीच जाने और उसकी बात सुनने की यात्रा है। अजमेर में हुई जनसभा में सचिन पायलट ने कहा कि, पिछली सरकार में करस्थान के मुद्दे पर वसुंधरा राजे को हमने ललकारा था, उसका बंद कांग्रेस सत्ता में आई। जनसभा में पायलट ने पिपली के मुद्दे पर निशाना साधते हुए कहा कि, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीक हुए। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। पहली बार कोई आरपीएससी मेंबर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन क्या इसके तहत और कहीं तक

बाद तीन जजों की एक बेंच ने इस प्रकरण को गत वर्ष 6 मई को पांच जजों की संविधान बेंच को रेफर कर दिया था।

दिल्ली सरकार द्वारा यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पुनः ले जाने की वजह 14 जनवरी 2०19 को दिया गया एक खण्डित फैसला था, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण और ए.के. सीकरी (अब दोनों ही सेवानिवृत्त) की एक बेंच ने सी.जे.आई. से सिफारिश की थी कि इस मुद्दे का अंतिम समाधान करने के लिए तीन जजों की एक बेंच का गठन किया जाए।

जस्टिस भूषण ने कहा था कि नौकरशाही के शीर्ष स्तर (संयुक्त निदेशक और उसके ऊपर) के पदों पर ट्रांसफर या पोस्टिंग केवल केन्द्र सरकार द्वारा ही की जा सकती है तथा अन्य नौकरशाहों से संबंधित मसलों पर मत भिन्नता की स्थिति में लैफ्टिनेंट गवर्नर की राय मान्य होगी।

वर्ष 2०18 में, पांच जजों वाली एक संविधान बेंच ने सर्वसम्मति से व्यवस्था दी थी कि दिल्ली के लैफ्टिनेंट गवर्नर निर्वाचित सरका की सहायता और सलाह से बंधे हुए हैं और दोनों को ही एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करने की जरूरत है।

‘पायलट की रैली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
नेताओं, संगठनों को टारगेट किया जाये। गुर्जर समाज की हमेशा उपेक्षा हुई है।

देश में केन्द्र में कोई गुर्जर मंत्री नहीं है, किसी बोर्ड का गुर्जर अध्यक्ष नहीं है। राजस्थान में भी किसी गुर्जर महापुरूष का स्मारक नहीं बनाया गया। आरपीएससी, यूपीएससी में गुर्जर समाज कोई सदस्य नहीं है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी गुर्जर समाज के नेता को राज्यसभा में सदस्य बनाकर नहीं भेजा।

पोसवाल ने कहा कि केन्द्रीय सुरक्षा एंजैसे ने सचिन पायलट पर हमला होने का अंदेशा जताया है। उन्होंने केन्द्र व राज्य सरकार से पायलट की सुरक्षा पर उच्च स्तरीय समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पायलट के पिता स्व.राजेश पायलट की मौत के समय केन्द्र में एनडीए व राज्य में गहलौत की सरकार थी। उन्होंने कांग्रेस पर गुर्जनों को हाशिए पर रखकर राजनीति करने का आरोप लगाया।

नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार के प्रयासों की हवा निकाली

नई दिल्ली, 11 मई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद थर्ड फ्रंट बनने की किसी भी संभावना से साफ इंकार किया है। सी.एम. नवीन पटनायक की यह टिप्पणी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिशन विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका बजाई जा रही है।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साल 2०24 के लोकसभा चुनाव के लिए कुछ नेताओं द्वारा विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है।

27०0 करोड़ रू....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
गौरतलब है कि, सेना से रिटायर रणवीर सिंह व अन्य पर आरोप है कि, उन्होंने अलग-अलग कम्पनियों बनाकर हजारों लोगों को गुजरत की धोलेरा सिटी में जमा में निवेश करने पर भारी-भरकम रिटर्न का झांसा दिया था। हजारों पीड़ितों से करीब 27 सौ करोड़ रुपए ठगने के बाद आरोपी अंडरग्राउंड हो गए और विदेश भागने की योजना बनाने लगे। हालांकि लूक आउट सर्कुलर जारी होने के कारण वे विदेश नहीं भाग सके। लेकिन, फरार होकर राजस्थान के साथ-साथ गुजरात, हरियाणा और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में रहे। आखिर में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया।

हिन्दू युवती ने पूर्ण सुरक्षा के साथ दरगाह में नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी

नैनीताल, 11 मई (वार्ता)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश की एक हिन्दू युवती की ओर से रूड़की की पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने और उसे सुरक्षा मुहैया कराये जाने के मामले में सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही युवती को असुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पुलिस थाना में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

मध्य प्रदेश नीमच निवासी भावना व फरमान की ओर से एक याचिका दायर कर अदालत से पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति देने और उसे सुरक्षा मुहैया कराये जाने की मांग की गयी है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह रूड़की के रोशनाबाद में एक

जे.डी.यू. के पूर्व अध्यक्ष आर.सी.पी. सिंह ने भाजपा जाँइन की

नई दिल्ली, 11 मई (वार्ता)। जनता दल यूनाइटेड (जद यू) के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने गुरुवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में कुमार का अब कूड़ नहीं बचेगा। वह पलटीमार थे, हैं और रहेंगे।

भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के महासचिव अरुण सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी एवं सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख ने आर.सी.पी. सिंह का भाजपा में स्वागत किया।

इस मौके पर प्रधान ने कहा कि सिंह जदयू में हमेशा बुनियादी मूल्यों से बंधे रहे। किसानों, पिछड़ों एवं अति पिछड़ों के मुद्दों पर मुखर रहे। जदयू के राजनीतिक संगठन को मजबूत बनाने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने कई दिनों तक जदयू के अध्यक्ष के रूप में अपने अनुभव से भाजपा के साथ राजनीतिक गठबंधन को सुचारू रूप से चलाया लेकिन नीतीश कुमार पीछे से घात करते रहे।

भाजपा में शामिल होने पर गवं व्यक्त करते हुए आर.सी.पी. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गुग्ग मंत्री अमित शाह एवं प्रधान का आभार प्रकट किया।

उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की इस युवती की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है तथा उसको सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता युवती की ओर से कहा गया है कि, वह रूड़की के रोशनाबाद में एक हर्बल फैक्ट्री में नौकरी करती है। स्थानीय पिरान कलियर दरगाह में उसकी आस्था है। वह दरगाह में नमाज अदा करना चाहती है।

- उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की इस युवती की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है तथा उसको सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है।**

हर्बल फैक्ट्री में नौकरी करती है। स्थानीय पिरान कलियर दरगाह में उसकी आस्था है। वह दरगाह में नमाज अदा करना चाहती है। उसे कट्टरवादी संगठनों से खतपा है। इसलिए उसे सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही नमाज अदा करने की अनुमति दी जाये।

वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से पेश युवती से अदालत ने पूछा कि दरगाह में ही क्यों नमाज अदा करना चाहती है। ए

घर में भी नमाज पढ़ी जा सकती है। इसके जवाब में उसने कहा कि दरगाह में उसकी आस्था है और उससे प्रभावित है। इसलिए वहां नमाज पढ़ना चाहती है।

याचिकाकर्ता की अधिवक्ता शीतल सेलवाल ने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दरगाह जाने से पूर्व वह स्थानीय थाना को प्रार्थना पत्र दे ताकि उसे सुरक्षा मुहैया करायी जा सके।

रोचक व लंबी कहानी है...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
जिसे पूरा करते हुये उन्होंने सोनिया से मिलने के लिये गहलौत को समय दिलाया। इस मुलाकात का उपयोग उन्होंने राहुल गांधी पर काम करने के लिये किया।

गहलौत ने रणदीप सिंह सुरजेवाला का उपयोग किया राहुल गांधी को कहलवाया कि सचिन पायलट युवा है तथा उनके पास अभी काफी समय है तथा इसलिये इस समय उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत नहीं है। सुरजेवाला ने टीम गहलौत द्वारा तैयार की गई इस दलील से काम लिया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पहुंच गई है तथा उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया है क्योंकि कांग्रेस कमजोर होने लगी थी। ऐसी ही स्थिति राजस्थान में होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बिखरे हुये वोटों पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है क्योंकि गहलौत सचिन पायलट का काम बिगाड़ने के लिये जी-जान लगा देंगे।

उन्होंने कहा कि इसके फलस्वरूप कांग्रेस सरकार गिर भी सकती है तथा चुनावों से 6 महीने पहले ऐसा जोखिम क्यों लिया जाये।

ऐसे ही तर्क लेकर राहुल गांधी के पास अन्य नेता भी भेजे गये। गैर-राजनैतिक तथा भोले-भाले राहुल गांधी, जिन्का मुख्य उद्देश्य अडानी एवं मोदी को परेशान करना है, अडानी द्वारा बनाये तथा बिछाये गये जाल में फँस गये।

राहुल को राजी करने के लिये और

आदर्श घोटाले के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
चीफ जस्टिस, एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश राहुल मोदी व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में सी.आर. पी.सी. की धारा 173 की संवैधानिक वैधता व उसके प्रावधानों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा है कि, उनके खिलाफ दर्ज प्रकरणों में एच.ओ.जी. को 60 दिन की तय अवधि में जांच पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जांच ही पूरी नहीं हो पाई है और सी.आर.पी.सी. की धारा 173 में जांच प्रक्रिया लंबित कर रखी है। इससे उनका डिफॉल्ट बेल का अधिकार प्रभावित होता है। इस मामले के एक अन्य आरोपी

कमलेश चौधरी को डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है। इसलिए उन्हें इस मामले में डिफॉल्ट बेल दी जाए। सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार के एडिशल सॉलिसिटर जनरल, आर.डी. रस्तोगी व राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि, आरोपियों को याचिका में सीधे तौर पर जमानत नहीं दी जा सकती। आरोपी को जमानत याचिका की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने की आड़ में अदालत से जमानत मांग रहे हैं। आरोपियों को जमानत याचिका के जरिए ही जमानत मांगनी चाहिए। इसलिए आरोपियों की याचिका खारिज की जाए। अदालत ने पक्षकारों की बहस सुनकर याचिका में फैसला बाद में देना तय किया है।

^[1] राष्ट्रदूत (एच.यू.ए.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेम, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शांतिंग सेंटर, टॉक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन. आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com

^[2] 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाकरा हाउस, हुदामन हट्या, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371

^[3] उदयपुर कार्यालय:-आयड, नम रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410116

^[4] डिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, डिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600

^[5] चूा कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूा, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908

^[6] छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033

^[7] बीकानेर कार्यालय:-कुंभाकरा हाउस, हुदामन हट्या, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371

^[8] उदयपुर कार्यालय:-आयड, नम रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410116

^[9] डिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, डिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600

^[10] चूा कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूा, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908